

भाग-V

प्रस्ताव सं.- P.P./P.P./P.P./P.P./43673/2019

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार से किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग भाग घ में किसी

अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल

टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

C.C.T., Lucknow की संस्तुति के आधार पर स्वीकृत संस्तुति की जाती है।



पंकज मिश्र
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980
उ० प्र०, लखनऊ।

हस्ताक्षर

नाम-

सरकारी मोहर

दिनांक-15/6/20

स्थान-